

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

118/अपील/2017

14.03.2017

26.07.2018

घीसू आ0 छोटू जाति माली निवासी ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला
बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांत

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20.12.2016

नायब तहसीलदार, हिण्डोली

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से - श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक।

रेस्पोजेन्ट की ओर से - परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1249 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, पैनाल्टी 850/- रुपये एवं 30 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दी गई है एवं विधिक रूप से अपीलान्त की तामील भी नहीं हुई है एवं बिना तामील कराये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत ने अपीलाधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं ना ही उसका कब्जा है फिर भी




अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने पैनाल्टी जमा करा दी है तथा कोई राजस्व बकाया नहीं है। अपीलान्त कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अतिक्रमण मानते हुये सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये गये है। अतिक्रमी को द्वितीय अतिचार साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2016 निरस्त फरमाया जावे।

परोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त को बिना पश्चात्वर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्त निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 26/7/18
 (नरेश कुमार मालhotra R.A.S.)
 अतिरिक्त जिला कलक्टर,
 बून्दी (राज0)